राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु./2005-06/33 दिनांक 4-7-05

कुल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

विषयः- निजी महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय,

श्री श्याम महाविद्यालय, गुढागौड जी झुंझुनूको वर्ष 2002-03 में आदेश कमांक प. 2(25)शिक्षा-4/2002 दिनांक 10.7.2003 द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अब अकादमिक सत्र 2005-06 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :-

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करनी होगी ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें (Infrastructural facitilites) उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर यूजीसी/ राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगी। शर्तों की पालना न करने या उनका उल्लंघन करने पर प्रदत्त एन.ओ.सी. को आहरित (Withdraw) भी किया जा सकता है ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।
8. संस्था को अकादमिक स्टेण्डर्ड बनाये रखने हेतु प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करने का दायित्व स्वयं का होगा ।
9. आपको दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।

भवदीय,

4/7/05

(एस.एल.आर्य)

आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, झुंझुनू
8. अध्यक्ष/सचिव/श्री श्याम महाविद्यालय, गुढागौड़ जी झुंझुनू
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
11. रक्षित पत्रावली ।

Secretary
S. S. College, Gudha Gaurji,
Distt. Jhunjhunu

4/7/05

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।